

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर (आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा), बाड़मेर  
क्रमांक : प. 35( ) ( )आ.प्र. एवं सहा./Covid-19/2020/ 2158 दिनांक : 18/04/2020

आदेश

कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाव एवं संक्रमण के रोकथाम के संबंध में आवश्यक सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों/वाहनों के ऑनलाईन पास जारी करने हेतु श्री सुनील चौहान अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् बाड़मेर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

श्री चौहान को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाईन पर प्राप्त अनुमति के आवेदनों की पूर्ण जांच संतुष्टि पश्चात् पास जारी करे एवं इनके सहयोग हेतु निम्नांकित सूचना सहायकों को की प्रतिनियुक्ति वारु रूम, अटल सेवा केन्द्र, जिला मुख्यालय, बाड़मेर में की जाती है।

क्र.सं.	कार्मिक का नाम मय पद नाम	विभाग का नाम	प्रतिनियुक्ति स्थान
1.	श्री विरधाराम, सूचना सहायक	कृषि विभाग, बाड़मेर	वारु रूम, अटल सेवा
2.	श्री कैलाश, संगणक	पं. स. बाड़मेर	केन्द्र, बाड़मेर

उक्त के संबंध में संबंधित अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्मिकों कोविड-19 के तहत तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित करे।

(विश्राम भीणा)  
जिला कलेक्टर

आ.प्र. सहा. एवं ना.सु., बाड़मेर

क्रमांक : प. 35( ) ( )आ.प्र. एवं सहा./Covid-19/2020/2159-67 दिनांक : 18/04/2020  
प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

1. पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बाड़मेर
3. नॉडल अधिकारी, सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, बाड़मेर
4. श्री सुनील चौहान, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बाड़मेर
5. उपनिदेशक, DoIT को भेजकर लेख है कि उक्त कार्मिकों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करावें।
6. उपनिदेशक, कृषि विस्तार, बाड़मेर
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बाड़मेर
8. संबंधित श्री .....
9. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर

आ.प्र. सहा. एवं ना.सु., बाड़मेर